

कार्यालय प्रभागीय सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ
पत्रांक २३५३ / १४-१ दिनांक बदायूँ १६/०२ / २०१८

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी बरेली वृत्त बरेली।

विषय:- जपनद बदायूँ में बदायूँ-कादरचौक गंगपुर मार्ग के किमी० ०१ के चैनेज-०.७६५ के वायी ओर ग्राम शेखूपुर तहसील व जिला बदायूँ में स्थित गाटा संख्या-२८२ पर इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० के किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु ०.०४९७४८ है० संरक्षित वन भूमि बिना किसी भी वृक्ष के पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०, मुरादाबाद द्वारा बदायूँ-कादरचौक-गंगपुर मार्ग के किमी० ०१ के चैनेज-०.७६५ के वायी ओर ग्राम शेखूपुर तहसील व जिला बदायूँ में स्थित गाटा संख्या-२८२ पर इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० के किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु ०.०४९७४८ है० के संरक्षित वन भूमि पर बिना किसी वृक्ष के पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव सं०-FP/UP/Other/29427/2017 द्वारा ऑन लाईन करा कर पाँच मूल प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी थी। जिसका पार्ट-२ इस कार्यालय द्वारा भरकर ऑन लाईन कर दिया गया है। प्रस्ताव की चार प्रतियाँ मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-मूल चार प्रतियाँ।

भवदीय,


(रत्नेश श्रीवास्तव)
वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

